न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 24/2020
सीसीएमएस : 2020/00292

01. सोहनलाल पुत्र श्री हनुमान जाति जाट साकिन लिखमेंवाला तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
02. बृजलाल पुत्र श्री हनुमान जाति जाट साकिन लिखमेंवाला तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

प्रार्थी

बनाम

01. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, रायसिंहनगर जिला अनूपगढ।
02. इन्द्राज राम पुत्र श्री हनुमान जाति जाट साकिन लिखमेंवाला तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
03. गजानंद पुत्र श्री हनुमान जाति जाट साकिन लिखमेंवाला तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।
04. गंगाधर पुत्र श्री हनुमान जाति जाट साकिन लिखमेंवाला तह. रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:–11.11.2020

उपस्थित: 1.श्री अवतारसिंह बराड़ प्रार्थी अधिवक्ता।
2. श्री महेन्द्रसिंह अप्राथी सं. 2 ता 4 अधिवक्ता।

—निर्णय—

दिनांक 12.09.2024

01.संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी जोत वाके चक 26 पीएस बी के मु.नं. 37 पं.नं. 219/286 के कि.नं. 4 व 6 ता 13 प्रत्येक का सालम–सालम व कि.नं. 21 ता 25 में कुल 2.024 है. व मु.नं. 47 के कि.नं. 1 व 2 खातेदारी भूमि में पहुंचने के प्रयोजन के लिए अप्राथीगण व प्रार्थी के नाम खातेदारी भूमि वाके चक 26 पीएस का मु.नं. 37 पं.नं. 219/286 में अप्रार्थी इन्द्राज के कि.नं. 1 व 2 में प्रत्येक में 2–2 बिस्वा अप्रार्थी गजानंद के कि.नं. 3 मे 2 बिस्वा प्रार्थी बृजलाल के कि.नं. 4 में 2 बिस्वा अप्रार्थी गंगाधर के कि.नं. 5 के पूर्व व उत्तर साईड में 2–2 बिस्वा कि.नं. 15–16 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे। क्योकि यही रास्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के लिये सुविधाजनक एवं सरल है, इस रास्ता से चलकर मात्र 9 बीघा दूरी में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का खेत आ जाता है इस रास्ता के अलावा अन्य कोई सरल एवं सुविधाजनक रास्ता नहीं है तथा ना ही इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के नजदीक है। उक्त भूमि जिसमें से रास्ता चाहा गया है उसके मालिक प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण है। रास्ता में आने वाली भूमि के बदले प्रार्थी, अप्रार्थी को भूमि व डी.एल.सी. दर के अनुसार कीमत अदा करने के लिए सहमत है। वाके चक 26 पीएस का मु.नं. 37 पं.नं. 219/286 में अप्रार्थी इन्द्राज के कि.नं. 1 व 2 में प्रत्येक में 2–2 बिस्वा अप्रार्थी गजानंद के कि.नं. 3 मे 2 बिस्वा प्रार्थी बृजलाल के कि.नं. 4 में 2 बिस्वा अप्रार्थी गंगाधर के कि.नं. 5 के पूर्व व उत्तर साईड में 2–2 बिस्वा कि.नं. 15–16 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

02.प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को समन [illegible] एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया [illegible] अप्रार्थी सं. 2 ता 3 के खिलाफ दिनांक 16.02.2021 को [illegible] गई। दिनांक 16.03.2021 को अप्रार्थी संख्या 2 [illegible] की तरफ से [illegible]न्द्रसिंह अधिवक्ता ने प्रा. पत्र आ. 9 नि. 7 व 151 सीपीसी [illegible] को स्वीकार किया गया। अप्रार्थी सं. 2 ता 4 को [illegible]रने हेतु अवसर दिया गया। दिनांक 30.09.2022 को प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थी संख्या 2–4 का पेश हुआ। जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा अपने रकबा में चक 26 पीएस

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:51:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

मु.नं. 37 पं.नं. 219/286 के कि.नं. 4 व 6 ता 13 प्रत्येक का सालम–सालम व कि.नं 21 ता 25 में कुल 2.024 है. व मु.नं. 47 के कि.नं. 1 व 2 में पहुचने के लिए हम प्रार्थीगण के रकबा इसी चक के मु.नं. 37 पं.नं. 219/286 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा तथा कि.नं. 5–15–16 में 2–2 बिस्वा रास्ता चाहा गया है जबकि कि.नं. 6 मे रास्ते की मांग नहीं की गई है इसलिए रास्ते का लिंक कि.नं. 5 व 15 के बीच टुट जाता है तथा प्रार्थी सोहनलाल अपने रकबा में जाने के लिए केवल मात्र कि.नं. 1 में से निकल कर कि.नं. 10 मे पहुँच सकता है। तथा जबकि प्रार्थी बृजलाल को अपनी भूमि मे जाने के लिए इसी मुरब्बा के कि.नं. 1–10–11–20 में से जाकर अपने कि.नं. 21 मे पहुच सकता है इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा 9 बीघों में रास्ता मंजूर करवाना चाहा है जबकि प्रार्थीगण केवल 5 किला रास्ता से अपने रकबा में जा सकते है अतः जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण संख्या 2–4 की जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। यदि न्यायालय रास्ता मंजूर करता है तो हम प्रार्थीगण को रास्ता की एवज मे मुआवजा के रूप में जितना रास्ता मंजूर किया जाता है उतनी भूमि हम अप्रार्थीगण के रकबा के साथ चिपती भूमि दिलाई जावे। जिससे हम अप्रार्थीगण की जोत कम ना हो और हमे न्याय मिल सके। अप्रार्थी संख्या 3 जवाब पेश नहीं किया गया। जो बंद किया जाता है ।

03. तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक राजस्व/2021/20 दिनांक 06.01.2021 से इस न्यायालय को प्राप्त हुई। इस मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी इन्द्राज पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन लिखमेंवाला ने दिनांक 01.09.2021 आपत्ति दर्ज करवाई। कि सोहनलाल के नाम चक 26 बी.एस. बी के मु.नं. 37 के कि.नं. 6 ता 13 में कुल 2.024 हैक्टर नहरी भूमि खातेदारी है। जबकि बृजलाल के नाम मु.नं. 37 में कि.नं. 4 व 21 ता 25 मे कुल 1.518 है. नहरी भूमि खातेदारी दर्ज है प्रार्थीगण द्वारा इसी मुरब्बा के कि.नं. 1 ता 5 व कि.नं. 5–15–16 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता की माग की गई है जबकि कि.नं. 6 में रास्ता की मांग नही की गई इसलिए इस रास्ते में कि.नं. 6 में रास्ता नहीं होने के कारण आपस में लिंग टूट जायेगा। सोहनलाल के लिए अपनी भूमि मु.नं. 37 के कि.नं. 6 ता 13 में जाने के लिए केवल कि.नं. 1 में ही रास्ता मंजूर करवाने की आवश्यकता है कि.नं. 1 में रास्ता मन्जूर होने पर सोहनलाल अपनी भूमि के कि.नं. 10 मे पहुंच जायेगा। इसलिए यह सबसे नजदीकी रास्ता है तथा बृजलाल क्योकि मु.नं. 37 के कि.नं. 4 व 21 ता 25 मे जाने के लिए निकटतम रास्ता इसी मुरब्बा के कि.नं. 1–10–11–20 में रास्ता मंजूर होने की स्थिति में अपने कि.नं. 21 में सुगमता से पहुंच जायेगा। इसलिए केवल मात्र 4 बीघा में रास्ता मंजूर होने की स्थिति में प्रार्थीगण अपनी भूमि में जाने के लिए रास्ता मिल जायेगा और यही निकटतम रास्ता है इसलिए 9 बीघा मे रास्ता मंजूर करने पर अप्राथीगण के साथ अन्याय होगा। अप्राथीगण के प्रार्थना पत्र के जवाब एवं प्रार्थी इन्द्राज पुत्र हनुमान जाति जाट के प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार रायसिंहनगर से पुनः मोका रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र जारी किया गया।

04. तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2024/194 दिनांक 24.01.2024 से अवगत करवाया है कि मुताबिक जमाबंदी प्रार्थीगण के नाम चक 26पीएसबी के खाता संख्या 156 पं.नं. 219/286 मु.नं. 37 के कि.न. 6 ता 13 कुल 2.024 है. नहरी मय खाला सोहनलाल पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन लिखमेवाला व खाता संख्या 86 पं.नं. 219/286 मु.नं. 37 कि.नं. 4–21 ता 25 सालम कुल 1.518 है. नहरी मय खाला, पं.नं. 219/287 मु.नं. 47 कि.नं. 1 [illegible] नहरी मय खाला बृजलाल पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन लिखमेंवाला के [illegible] दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण के नाम चक 26 पीएसबी [illegible] कि.नं. 1–2 सालम कुल 0.506 है. नहरी मय खाला [illegible] 287 मु.नं. [illegible] 18 ता 20 सालम 21 ता 24 प्रत्येक 0.228 है. 25 [illegible] खाला भूमि इन्द्राज पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन [illegible] 286 मु.नं. 37 कि.नं. 3 सालम व पं.नं. 219/287 मु.नं. 47 कि. नं. 11 ता 17 सा[illegible] कुल 1.771 है. नहरी मय खाला गजानन्द पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन लिखमेंवाला व पं

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:51:02 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

नं. 219/286 मु.नं. 37 कि.नं. 5–14 ता 20 सालम कुल 2.024 है. नहरी मय खाला गंगाधर पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन लिखमेंवाला के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि मे आवागमन हेतु कोई रास्ता स्वीकृत शुद्धा नहीं है प्रार्थीगण ने अपने खेत में आवागमन हेतु चक 26 पीएसबी के पं.नं. 219/286 मु.नं. 37 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है. व कि.नं. 5–6–15–16 प्रत्येक में 0.025 है. रास्ता स्वीकृत किये जाने की मांग की है। रिपोर्ट भू. निरीक्षक रायसिंहनगर अनुशंषा अनुसार यही रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

05. बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना में अंकित तथ्यों को दौराया एवं कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है रास्ते के बदले प्रार्थीगण राज्य सरकार के नियमानुसार राशि का भुगतान भी कर सकते है। अतः चक 26 पीएसबी के पं.नं. 219/286 मु.नं. 37 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है. व कि.नं. 5–6–15–16 प्रत्येक में 0.025 है. रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया और निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के पास भूमि बहुत कम है इसलिए प्रार्थीगण का रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो डी.एल.सी दर के अनुसार राशि नहीं लेना चाहते है बल्कि जितनी भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है उसी भूमि के बदले भूमि देने का आदेश दिया जावे।

06. हमने विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष, की बहस सुनकर व समझकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट एवं भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। तहसीलदार रायसिंहनगर व, भू–अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि इसी चक 26 पीएसबी के पं.नं. 219/286 मु.नं. 37 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है. व कि.नं. 5–6–15–16 प्रत्येक में 0.025 है. रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने रास्ता के बदले भूमि देने में सहमति दी। प्रार्थीगण इसी रास्ते से अपनी भूमि में आवागमन कर सकते है। इस रास्ते के स्वीकृत होने से निकटतम अभिलिखित रास्ते तक प्रार्थी की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। प्रार्थी को अपनी भूमि में प्रवेश के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग अतिआवश्यक है और प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग स्वयं की सुविधा मात्र के नहीं है। यह प्रार्थीगण की आत्यांतिक श्रेणी में आता है। उक्त वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र 251 क प्रार्थीगण का स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाकर **चक 26 पीएसबी के पं.नं. 219/286 मु.नं. 37 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में 0.025 है. व कि.नं. 5–6–15–16 प्रत्येक में 0.025 है. कुल 0.250 है. गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत कर दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है।** अतः तहसीलदार रायसिंहनगर उक्त रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में सोहनलाल पुत्र हनुमान अपनी खातेदारी भूमि मु.नं. 37 के कि.नं. 9–10 प्रत्येक में 0.025–0.025 है. कुल 0.050 है. भूमि रकबे से चिपती इन्द्राज [illegible] कि.नं. 8 में 0.025 है. चिपती भूमि गजानन्द पुत्र हनुमान को देगा तथा बृजलाल [illegible] मु.नं. 37 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक 0.015–0.015 है. कुल [illegible] चिपती भूमि देगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–[illegible] रास्ते की [illegible] करावे एव मौके पर कोई अवरोध पाए जाए तो उन्हें हटाये। [illegible] रायसिंहनगर के नाम जारी हो, पत्रावली फैसलशुमार होकर [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:51:02 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला अनूपगढ़,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला अनूपगढ़,राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:51:02 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner